कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

एक लाख रूपये कीमत की अवैध शराब से भरी बोलेरो तथा 99140 रूपये नगद जप्त कर बोलेरो चालक को किया गिरफ्तार

जयपुर 13 अप्रेल। जिला भरतपुर के थाना हलैना पुलिस व हाईवे मोबाईल प्रथम के जाप्ता ने आज गुरूवार को नाकाबन्दी के दौरान आमोली टोल प्लाजा पर एक लाख रूपये कीमत की अवैध शराब से भरी बोलेरो तथा 99140 रूपये नगद बरामद कर, बोलेरो गाडी के चालक को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है।

जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर श्री कैलाशचन्द्र विश्नोई ने बताया कि 13 अप्रेल,2017 आमोली टोल प्लाजा पर नाकाबन्दी कर रही हाईवे मोबाईल प्रथम को जरिये मुखविर सूचना मिली कि एक बोलेरो गाडी नम्बर आरजे 05 यूए 4037 में अवैध शराब भरी हुई है। जो भरतपुर की तरफ आ रही है। जिस पर पुलिस कन्ट्रोल रूम के मार्फत आमोली टोल प्लाजा पर थाना हलैना पुलिस व हाईवे मोबाईल प्रथम ने नाकाबन्दी की गई तो कुछ समय बाद भरतपुर की तरफ मुखविर के बताये अनुसार एक बोलेरो गाडी आती हुई दिखाई दी।

श्री कैलाशचन्द्र विश्नोई ने बताया कि इस पर पुलिस जाप्ता ने गाडी को रूकवाया तो बोलेरो चालक पुलिस जाप्ता को देख गाडी को मौके पर ही छोड भागने लगा तो पुलिस जाप्ता ने चालक को पकड लिया और उससे नाम–पता पूछा तो उसने अपना नाम रूपसिंह पुत्र रतनसिंह जाति जाट निवासी कस्वा वैर का होना बताया तथा गाडी की तलाशी ली तो तलाशी में गाडी में 60 पेटी (कुल 2880 पव्वा) अवैध देशी शराब व एक बैग में 99140 रूपये नगद मिले।

उन्होंने बताया कि गाडी में मिली अवैध शराब की कीमत लगभग 1 लाख रूपये बताई जा रही है। पुलिस ने बोलेरो चालक **रूपसिंह** को गिरफतार, अवैध शराब, नगद राशि व बोलेरो गाडी को जप्त कर आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी से गहनता पूर्वक पूछताछ कर रही है।

राही/सन्तरा/306/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोट www.police.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर

(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

नाबालिग के अपहरण का 25 वर्ष से फरार आरोपी गिरफ्तार

जयपुर 13 अप्रेल। पुलिस अधीक्षक अलवर श्री राहुल प्रकाश ने बताया कि फरार व वांछित आरापियों कि गिरफतारी के लिए जिले के सभी थानाधिकारियों को सख्त निर्देश दिये जाकर विशेष टीमों का गठन किया था। जिस पर थाना विशेष टीम ने मांढण ने 13 अप्रेल,2017 को थानाधिकारी मय जाप्ता ने वर्ष 1992 से नाबालिग के अपहरण के प्रयास का फरार आरोपी मेदाराम उर्फ उम्मेद पुत्र तुलसीराम जाति अहीर उम्र 52 साल निवासी बहाला थाना जाटुसाना जिला रेवाडी हरियाणा को गिरफतार किया गया। आरोपी घटना के बाद अपनी जमीन जायदाद बेचकर गुरु नानक कालोनी वार्ड नम्बर 8 नियर रेल्वे स्टेशन गोविन्दगढ थाना गोविन्दगढ जिला फतेगढ पजाँब में निवास कर रहा था।

राही/सन्तरा/307/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोट www.police.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।